उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 604 -औस-17/पाकालि/2002-11(1)एफ/86टी. सी. दि0 6 फरवरी 2002

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति विषयक वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी कारपोरेशन के आदेश सं0 2981-औस-17/पाकालि/2001-11(33)ए.एस.2001 दिनांक 8.10.2001 के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा कार्यालय ज्ञापसं0 225-प्र.मु.01/पाकालि/2001-21 प्र.मु./2001 दिनांक 12.11.2001 द्वारा आंचलिक मुख्य महाप्रबन्धकों को उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी वित्तीय अधिकारों के दृष्टिगत वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् किया जाता है:-

अधिकारी का पदनाम	प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि
1. अधिशासी अभियन्ता	रू0 3000/- तक
2. उप महाप्रबन्धक	रू0 7000/- तक
3. महाप्रबन्धक	रू0 15000/- तक
4. आंचलिक मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)	रू0 1,00000/- तक
5. निदेशक (का.प्र. एवं प्रशासन)	रू0 1,50000/- तक
6. निदेशक (का.प्र. एवं प्रशासन) (निदेशक वित्त की सहमति से)	रू0 1,50000/- से अधिक

2. उपरोक्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने हेतु केवल वे ही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य आवंटित होंगे।

3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों का निस्तारण भी क्षेत्रीय स्तर से उपरोक्त वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार किया जाएगा।

4. कारपोरेशन के संदर्भगत आदेश दिनांक 8.10.2001 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित सरकारी अस्पतालों एवं पूर्ववर्ती परिषद/कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में "आउट डोर पेशेन्ट के रूप में डायलिसिस कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति यथावत अनुमन्य होगी।

5. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक